पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

तोरणिया

गाँव - भचडिया

पंचायत - खेमपुर

तहसील - दोवड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का एक परिचय - तोरणिया जिला मुख्यालय डूंगरपुर से 38 किलोमीटर दूर बसा है। तोरणिया ग्राम पंचायत खेमपुर का राजस्व गाँव है । खेमपुर पंचायत में चार गाँव - वागदरी, खेमपुर, भचडिया और तोरणिया है । गाँव में शिलालेख 21 जनवरी 2018 को हुआ और गाँव सभा का गठन भी उसी दिन सभी की सहमति से कर दिया गया । प्रत्येक माह की एक निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक की जाती है । गाँव के लोगों की पेसा कानून के बारे में कुछ-कुछ समझ बन पाई है। तोरणिया राजस्व गाँव में तोरणिया फला, हिंग फला, रेहड़ा वाली डूंगरी फला है । गाँव के किनारे से सोम नदी बहती है । गाँव में एस.टी. जनजाति के लोग है जिनमे रोत, भील, और अहारी प्रमुख है । गाँव का कुल रकबा 163.95 हेक्ट है जिसमें कृषि भूमि 300 बीघा, बिलानाम जमीन 350 बीघा, जंगल 650 बीघा है, जंगल की जमीन पहाड़ी है । गाँव में कुल 80 घर है जिसकी जनसंख्या लगभग 500 है । गाँव के लगभग 73 घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। गाँव में सरकारी राशन की दुकान नहीं है वह पंचायत के दूसरे गाँव 'खेमपुर' में 5 किमी दूर है । राशन की दुकान से मात्र गेहूं मिलता है। पहले चावल, चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था। अब यह त्यौहार आने पर ही दिया जाता है। गाँव में 70 घरों में परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिल चुका है । लेकिन अब इन्हें मिट्टी का तेल नहीं दिया जाता है जिस कारण रात अन्धेरे में गुजारने को मजबूर है ।

तोरणिया गाँव का पोस्ट ऑफिस खेमपुर गाँव में 5 किमी और पुलिस थाना दोवडा में 18 किमी दूर है । गाँव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है इसके लिए वागदरी 2 किमी दूर जाना पड़ता है । सरकारी अस्पताल रामगढ़ में 8 किमी दूर है । पशुओं के लिए हॉस्पिटल फलोज में 15 किमी दूर है ।

आवागमन की स्थिति - तोरणिया गाँव जाने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय से फलोज बस स्टैंड तक बस मिल जाती है उसके बाद ऑटो, बस से खेमपुर बस स्टैंड तक जाया जाता है, तोरणिया गाँव में ऑटो, जीप या अन्य किसी प्राइवेट साधन नहीं जाते है इसलिए केवल मोटरसाइकिल या पैदल ही जाया जा सकता है । तोरणिया जाने के लिए एक सी.सी. सड़क है जो वागदरी गाँव से होकर निकलती है । एक दूसरी सड़क भी है जो रतनपुरा गाँव से होकर गुजरती है, अधिकतर लोग उसी से आते जाते है । आवागमन के साधनों के अभाव के कारण लोगों को 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर खेमपुर बस स्टैंड आना पड़ता है । गाँव में कम घर होने के कारण सी.सी. सड़के है, कुछ घर पहाड़ी पर है तो उनके लिए पगडण्डी रास्ते है ।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में बीमार लोगों के इलाज के लिए कोई उप-स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल नहीं है इसके लिए उन्हें वागदरी या रामगढ जाना पड़ता है जोकि 8 किमी दूर पड़ता है । गंभीर मरीजों के इलाज के लिए डूंगरपुर 38 किमी दूर जाना पड़ता है। जिन लोगों के घर पहाड़ियों पर है उनके घर के मरीजों को घर से झोले में डालकर या चारपाई पर लिटा कर मुख्य सड़क तक लाया जाता है फिर खेमपुर से 108 एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाना पड़ता है ।

गाँव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें लगभग 70 बच्चो का नामांकन है और पढ़ाने के लिए 2 अध्यापक हैं। इसके अलावा 1 सेकंडरी स्कूल वागदरी में है । डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों को डूंगरपुर जाना पड़ता है। गाँव में बीमार पालतू पशुओ के लिए पशु चिकित्सालय नहीं है इसके लिए 15 किलोमीटर दूर फलोज आना होता है ।

सरकारी योजनाएँ

गाँव के 73 घरो में बिजली है । गाँव में 12 इंद्रा आवास, 9 प्रधानमंत्री आवास और 11 मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिले है । गाँव में 140 पेंशनधारी है जिनमे 10 महिलाओं तथा 7 पुरुषो को वृद्धापेंशन और 9 महिलाओं को विधवा पेंशन और 1 महिला को एकलनारी पेंशन मिलती है ।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं -

आवागमन की कमी - तोरणिया गाँव में आवागमन एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि कहीं आने जाने के लिए ऑटो या जीप खेमपुर से वागदरी गाँव तक मिल जाती है । जिसके लिए कम से कम 5-6 किमी पैदल चलना पड़ता है या फिर स्वयं की मोटरसाइकिल से जाना होता है । खेमपुर ऑटो स्टैंड से भी आने-जाने के लिए जो भी साधन मिलता है वह भी पूरा भर जाने के बाद ही चलता है, मजबूरी में घंटों इन्तजार करना पड़ता है । तोरणिया जाने के लिए एक ओर पक्की सड़क है जो की पड़ोस के रतनपुरा गाँव से होती हुई तोरणिया में आती है, गाँव के लोग पक्का रास्ता होने के कारण वागदरी रोड के बजाय इसका इस्तेमाल करते है । गाँव में सड़को और आवागमन के अभाव से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार, बूढ़े और बच्चों को होती है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - तोरणिया गाँव पूरा पहाड़ी पर बसा हुआ है । इस कारण सभी खेत उबड़-खाबड़ है । हालांकि कुछ घर और खेत समतल जमीन पर है । गाँव के पहाड़ और जंगल सूखे है छोटी पहाडियों पर कहीं-कहीं बबूल और सागवान के पेड़ हैं। पहाडों में पत्थर है लेकिन इसका खनन नहीं किया जाता है, इसके अलावा पहाड़ो में अन्य किसी भी प्रकार के खनिज की जानकारी नहीं है । गाँव के पहाड़ पर गाँव के लोगो का कब्ज़ा है । लोगो को उनके कब्जे की जमीन का पट्टे नहीं मिले है जिससे कभी भी सरकार उनकी जमीन छीन सकती है। गाँव के जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा है पहले उसमे सागवान, महुआ और आम के पेड़ थे लेकिन अभी वर्तमान में पूरे जंगल में केवल बबूल के पेड़ है जो किसी काम नहीं आते है इसलिए लोगो में जंगल को लेकर कोई विशेष रूचि नहीं है । जंगल को सरकार और वन विभाग की सम्पति मानते हुए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए किसी भी प्रकार की कोशिश नही करते है । लोगो में वृक्षारोपण के प्रति भय हैं कि जिस तरह से जंगल पर वन विभाग ने कब्जा कर लिया है उसी तरह अगर हम वृक्षारोपण करने पर उनकी जमीन को भी वन विभाग कब्जे में कर लेगा इस कारण वृक्षारोपण के प्रति उनकी उदासीनता है । गाँव की सीमा से लगती हुई सोम नदी बहती है लेकिन दूसरे गाँव की मंजूरी न होने के कारण इसका पानी उपयोग में नहीं ले पाते है । गाँव में 6 कुए

और 1 तालाब है । गर्मी के मौसम में गाँव में हैंडपंप, कुएं, बोरवेल सभी में पानी लगभग ख़त्म हो जाता है जिस कारण पानी का संकट बढ़ जाता है । गर्मी में पीने के पानी को दूसरे गाँव से लाना पड़ता है । गाँव के तालाब में बरसात के बाद पानी नहीं ठरहता है क्योंकि उसकी पाल/रिन्गवाल टूटी हुई है, इसके अलावा गाँव के लोग बोरवेल से पानी खीच लेते है । भू-जल संरक्षण के प्रति उदासीनता और उचित नीति न होने से पानी सूख जाता है और भूजल-स्तर लगातार नीचे जा रहा है ।

कृषि - पशुपालन एवं रोजगार की स्थिति -गाँव में कृषि बारिश के मौसम पर निर्भर है क्योंकि सिंचाई के लिए पानी की कमी है । इसके साथ ही लोगों के पास पहाड़ी ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती की जमीन है। गाँव में समतल जमीन नहीं के बराबर है । बारिश के बाद जिनके पास बोरवेल की सुविधा है वे ही लोग फसल उगा पाते है । गाँव में मुख्य फसल मक्का, उड़द, चना है और जिनके पास समतल जमीन है वो बोरवेल के पानी से गेहूं पैदा करते हैं। खेती में पैदा होने वाला अनाज 4 से 6 महीने खाने भर का हो जाता है। खेती के अलावा मनरेगा ही एकमात्र गाँव में रोजगार का साधन है। मनरेगा में काम करने वालो में महिलाओं की संख्या पुरूषों से ज्यादा है । लेकिन मनरेगा में 100 दिवस काम नहीं मिलता है मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी इतनी कम मिलती है कि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है । मनरेगा में 90 से 100 रु. मजदूरी मिलती है। बेरोजगारी और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा काम की तलाश में जिले के अन्य शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। जहाँ कडिया काम मिल जाता है । कुछेक पढ़े लिखे लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां उनको आइस फेक्ट्री या नमकीन फेक्ट्री में 250 से 300 रूपए दैनिक मजदूरी मिल जाती है, वहां पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। पशुपालन में लोग गाय, भैंस, बैल, बकरी इत्यादि पालते हैं लेकिन देसी नस्ल होने के कारण उनसे भी दूध मात्र बच्चों के पीने भर का ही होता है। पशुओ के लिए चारा भी बारिश में होता है, चारा बाजार से खरीदते है जो 5 - 7 रूपए प्रति पुली भाव से मिलता है ।

सरकारी योजनाओ की स्थिति

गाँव में सरकारी योजनाओं में विसंगतियां जैसे पेंशन, आवास, शौचालय, राशन, उज्ज्वला गैस, श्रमिक कार्ड, मनरेगा में सौ दिन काम, पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं मिल पाना इत्यादि व्याप्त है। इसका मुख्य कारण गाँव के लोगों की योजनाओ और उनसे मिलने वाले लाभों की जानकारी नहीं होना, अनभिज्ञता और सरकारी विभागों तथा गाँव के जनप्रतिनिधियों में व्याप्त भ्रष्टाचार हैं। चूँकि गाँव में 90 प्रतिशत लोगों को उज्ज्वला गैस योजना से जोड़ा जा चुका है लेकिन परेशानी उन गाँव वालों को होती है जिन्हें उज्ज्वला गैस नहीं मिली है और उनका मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया गया है । इन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि बाजार से 70 रु. प्रति लीटर मिट्टी का तेल खरीद सके। लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उज्ज्वला गैस योजना में मिले सिलेण्डर को खाली होने के बाद फिर से रिफिल नहीं करवा पा रहे है और लकड़ी का चूल्हा जला रहे है, यह स्पष्ठ करता है कि गाँवो के

विकास की बातें किस हद तक खोखली है । गाँव में 73 घरों में बिजली के कनेक्शन है, लेकिन जिनके घरो में ना तो बिजली है ना ही मिट्टी का तेल मिलता है, उनको रात अंधेरे में गुजारनी पड़ती है। अँधेरे में रात को बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होने के साथ ही जंगली जीवो का डर भी रहता है । गाँव में पेंशन पाने की उम्र हो जाने पर भी लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है क्योंकि न तो उनका कोई आवेदन करने वाला है न ही कोई उम्र संशोधन करवाने वाला । मनरेगा में लोगों का आवेदन तो होता हैं लेकिन आवेदन की रसीद नहीं देते हैं जिसके कारण उनको 100 दिन का काम नहीं मिल पाता है। काम की पूरी नपती ना होने से उनको पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है। 100 दिन काम नहीं मिलने से श्रमिक कार्ड से भी लोग वंचित हो जाते हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं-

संसाधन	**हालत**	**संभावनाएं**
जल नदी तालाब कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव के किनारे से सोम नदी बहती है, 1 छोटा तालाब है जिसमे बरसात में पानी भरा रहता है । तालाब कम गहरे होने और रिन्गवाल टूटी होने से पानी बह जाता है । गाँव में जितने भी कुए है उनमे से ज्यादा तो गर्मी में सूख जाते है । गाँव के कुछेक लोगो ने अपने निजी बोरवेल करवा रखे है । जो 300 फीट गहरे है । जिनमें भी गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चला जाता है । गाँव के आधे से ज्यादा हैंडपंप गर्मी में सूख जाते है ।	दूसरे गाँव से बात करके सोम नदी से नहर निकल कर सिंचाई के लिए पानी दिया जा सकता है । पहाडियों से बारिश का पानी बहने से रोकने के लिए एनिकट और चेकडैम बनाना ताकि एनिकट और तालाब में पानी को पूरे वर्ष तक रोका जा सके। गाँव के तालाब का गहरीकरण और रिंगवाल की मरम्मत करने से पानी को व्यर्थ जाने से रोका जा सकता है । तालाब में पूरे वर्ष पानी रुकने से गाँव के अधिकतर लोगों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूमिगत जल स्तर ऊपर उठने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहेगा जिससे फ्लोराइड मुक्त पीने के पानी की उपलब्धता की संभावना बढ़ जाएगी । ख़राब हो चुके हैंडपंपों की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और यदि बोरवेल की बजाय कूओ से पानी निकाला जाये तो जल स्तर

		एकदम से नीचे नहीं जायेगा, इस पर गाँव सभा को निर्णय करना होगा।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि जंगल	गाँव की जमीन पहाड़ी, उबड़-खाबड़ और पथरीली है । बेनामी जमीन, जंगल पर सरकार का कब्ज़ा है । गाँव में बहुत कम जमीन सिंचित है, बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। जंगल पर वन विभाग का कब्जा होने से गाँव के लिए जलाऊ ईंधन की समस्या खड़ी हो गयी है । जंगल की जमीन पर केवल कटीले बबूल है ।	गाँव की उबड़-खाबड़ और पथरीली जमीन को अपना काम-अपना खेत योजना के तहत समतलीकरण करवाकर उपयोग में लेना और खेती योग्य बनाना । उन्नत कृषि तकनीकी उपयोग और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। गाँव के जंगल पर सामुदायिक वन दावा करके गाँव के अधीन करना तथा जंगल को पुनर्जीवित करके लघु वन उपज के लिए आम, गोंद, बांस, कीकर, आवला मधुमक्खी पालन भी आय के साधन के रूप में अपना सकते है । जिससे गाँव के लोगों की आय का स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है।
पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी	गाँव में लोग गाय, भैंस, बैल तथा बकरीपालन करते हैं। लेकिन पानी की कमी के चलते पशुओं के लिए चारा बारिश के मौसम में ही होता है जो मार्च-अप्रैल माह तक खत्म हो जाता है। इसके बाद लोगों को महंगे भाव में चारा बाजार से खरीदना पड़ता है। पौष्टिक पशु आहार और चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है।	उन्नत नस्ल की गाय, भैस और बकरी पालन करना । अच्छी किस्म की मुर्गी और बकरीपालन से इन्हें बाजार में बेच कर आय की जा सकती है और दूध-खाने का भी बंदोबस्त हो सकता है । पशुओं के चारे की व्यवस्था गाँव की पहाड़ियों से और सरकारी विभागों के सहयोग से की जा सकती है। इसके लिए गाँव के लोगों को कृषि और पशुपालन विभाग की मदद से चारे

	दूसरी समस्या यह है कि गाँव में अच्छी नस्ल के दूधारू पशुओं का भी नहीं होना दूध उत्पादन कम देने का मुख्य कारण है।	और देसी की जगह अच्छी नस्ल के पशुओं की समस्या का समाधान किया जा सकता है ।
पहाड़	पहाड़ में अच्छी मात्रा में पत्थर है । लेकिन इसका खनन नही होता है । इसके अलावा अन्य किसी भी खनिज के मिलने जानकारी नहीं है।	गाँव सभा के प्रयास करके आवश्यकता के अनुसार गौण खनिज का खनन किया जा सकता है और उससे होने वाली आय को गाँव के विकास कार्यो में लगाया जा सकता है ।

गाँव सभा द्वारा चयनित समस्याएं -

क्र.सं.	**समस्याएं**	**सार्वजनिक / व्यक्तिगत**	**कारण**	**समाधान**	**तात्कालिक/ दीर्घकालिक**
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	पहाड़ी इलाका होने और संकरे रास्तो के कारण सी.सी. सड़क ही बन पाई है । कच्चे रास्ते भी पंचायत की उपेक्षा के शिकार है। एक बार बनाने के बाद टूटने पर पेचवर्क न होना । सबसे ज्यादा तकलीफ बीमार लोगो और गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल लाने ले-जाने में होती है ।	सभी कच्चे रास्तो को सी.सी. सड़को के साथ जोड़ना । सडको की समस्या से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोग इसे वरीयता देते हुए पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में जोड़ने पर जोर देंगे ।	**तात्कालिक**
2	**शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक पूरे नहीं है । जिस कारण बच्चों की संख्या भी कम है । पढाई का स्तर भी काफी निम्न है । खेल का मैदान, कक्षा-कक्षों की	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक करके विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति, कक्षा-कक्षों के निर्माण और शौचालय निर्माण के प्रस्ताव लिए गए हैं	**तात्कालिक**

			कमी और शौचालयों की स्थिति काफी निम्न है ।	और इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन देकर वार्तालाप किया जायेगा ।	
3	**कृषि समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है । उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन और छोटी पहाड़ियों और उन्नत किस्म के बीजो, उन्नत कृषि तकनीक का अभाव तथा अच्छी खाद के अभाव में खेती का उत्पादन भी बहुत ही कम होता है।	उबड़-खाबड़ खेतों का समतलीकरण। बरसात के पानी को रोकने के लिए पहाडियों पर चेकडेम निर्माण गाँव की सीमा से होकर गुजरने वाली नदी पर बांध बना कर नहर निकालना और तालाब का गहरीकरण और मरम्मत खेत तलावड़ी, मेड़बंदी करना । उन्नतशील बीज और जैविक खाद के उपयोग से खेती के जमीनों की उर्वराशक्ति को बढ़ाना।	**तात्कालिक**
4	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	गाँव में लोगो को उनकी कब्जे की जमीन का पट्टा नहीं मिला है जिनके पास है वो भी बहुत कम जमीन है । जिसमे खेती से परिवार का गुजारा मुस्किल से होता है । पट्टे न मिलने से गाँव वालों कों भविष्य में अपनी जमीन के छीन जाने का डर है ।	गाँव के लोगों ने काबिज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज है उसके दावे की फाइल तैयार करके जमा कराई जाएगी ।	**दीर्घकालिक**
5	**आवास एवं शौचालय**	**व्यक्तिगत**	आवास और शौचालय बन गये है और उनके	गाँव सभा ने इस समस्या के समाधान के	**तात्कालिक**

	निर्माण और बकाया भुगतान संबंधी समस्या		सत्यापन के लिए फोटो भी ले लिए गये है, लेकिन भुगतान की दूसरी और तीसरी क़िस्त बहुत से लोगो की बाकी है । इसमें भी बिचौलिये लोग रुपये दिलाने के लिए कमीशन मांगते है ।	लिए बैठक में जरूरतमंद लोगों के आवास निर्माण और बकाया भुगतान के लिए आवेदन करने की कमेटी बनाकर उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई है।	
6	**पेयजल की समस्या**	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। जिससे उन्हें दूसरे गाँव से पानी लाना पड़ता है। गाँव में जल संरक्षण के प्रति उदासिनता से भू-जल स्तर नीचे जाने संकट बढता जा रहा है ।	पानी के संकट का समाधान करने के लिए बरसात के पानी को चेकडैम बना कर पूरे वर्ष तालाब और एनिकट में रोकने की योजना बनाना । बरसात के पानी को घर के बाहर पक्के टाँके में इकट्ठा करना और फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	**W- Weakness कमजोरी**	**O- Opportunities अवसर**	**T- Threats चुनौतियां**
आवागमन - सी.सी. सड़के कच्चे रास्ते	सी.सी. सडको को चौड़ा नहीं करना । कच्चे रास्ते को सी.सी. नहीं करना।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं बीमार, गर्भवती महिलाओ, स्कूल जाने वाले बच्चों को आसानी हो जाएगी । लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।

जल तालाब एनीकट कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव के जल-स्त्रोत (तालाब, एनिकट, कुआँ) में पानी बरसात के बाद दो माह ही रहता है, फिर सूख जाता है । यही हाल अन्य जल स्त्रोतों के है । हैंडपंप और बोरबेल में भी पानी ग्रीष्म ऋतु में ख़त्म हो जाता है । पानी का लेवल 250 फीट से अधिक गहराई में चला गया है । पेयजल फ्लोराइड से दूषित है ।	शुद्ध पेयजल के लिए गाँव में आर.ओ. प्लांट लगाया जा सकता है । गाँव के तालाब का गहरीकरण और रिन्ग्वाल मरम्मत करके तथा बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पीने के पानी और सिचाई के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	गाँव के लोगों की उदासीनता। पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्य योजना नहीं होना।
आजीविका के साधन	नरेगा और खेती के अलावा अन्य कोई आजीविका का साधन गाँव में नहीं है । लघु वन उपज ना होना, उन्नत बीज नहीं, कृषि उत्पादन में कमी और अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव।	गाँव में पहाड़ों पर वृक्षारोपण, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती तथा वन पर गाँव सभा का अधिकार करके जंगल को फिर से पुनर्जीवित करके लघु वन ऊपज से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। सामुदायिक वन अधिकार दावा न करना । उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा-

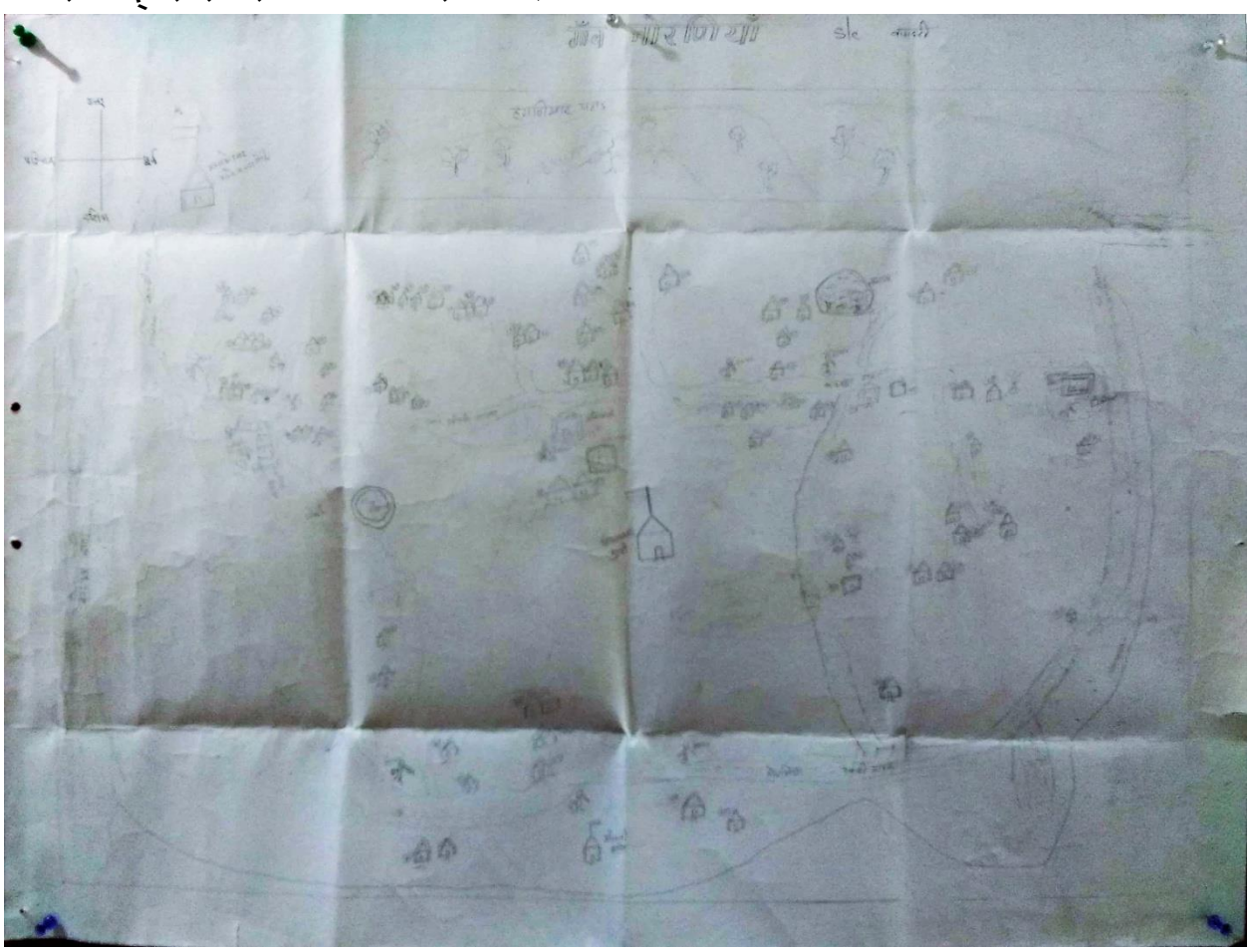

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	**पेंशन सम्बंधित प्रस्ताव**	
	वृद्धा पेंशन	6
	विधवा पेंशन	2
	विकलांग पेंशन	2
	एकलनारी पेंशन	1
	पालनहार	13
2	पी. एम. आवास सम्बंधित प्रस्ताव	35
	बकाया राशि भुगतान	6
3	शौचालय निर्माण और बकाया राशि भुगतान सम्बंधित प्रस्ताव	12
4	**स्कूल सम्बंधित प्रस्ताव**	
	अध्यापकों की नियुक्ति	

	दोनों प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत नए कमरों का निर्माण दोनों प्राथमिक स्कूलों में शुद्ध पानी की व्यवस्था हिंगफला स्कूल का मुख्य दरवाजा और परकोटा निर्माण दोनों प्राथमिक स्कूलों में बिजली की व्यवस्था	5 कमरे
5	**आंगनबाड़ी सम्बंधित प्रस्ताव** छत एवं फर्श मरम्मत शौचालय, परकोटा निर्माण बिजली का कनेक्शन	
6	नया उप-स्वास्थ्य का निर्माण	1
7	नयी राशन की दूकान खोलने के सम्बंधित प्रस्ताव	1
8	समुदायिक भवन निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	1
9	तालाब गहरीकरण, रिन्गवाल निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	2 तालाब, 1 तलावडी
10	**सड़क निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव** कच्ची सड़क सी सी सड़क	 3 4
11	वृक्षारोपण सम्बंधित प्रस्ताव	21
12	खेत समतलीकरण, खेत तलावडी, मेडबंदी, नये कुएं खुदवाने व गहरीकरण, पशुबाडा निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	86
13	**हैंडपंप सम्बंधित प्रस्ताव** नये हैंडपंप पुराने हैंडपंप मरम्मत	 6 2
14	आर. ओ. लगवाने सम्बंधित प्रस्ताव	1
15	एनिकट निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	2
16	चेकडैम निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	15
17	शमशान घाट निर्माण सम्बंधित प्रस्ताव	1
18	सामुदायिक वन दावा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव	
19	काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव	
20	सामाजिक बुराइयों पर रोक (डायन प्रथा, बाल विवाह, मौताना, बालश्रम)	
21	सामाजिक विवाद गाँव सभा द्वारा निपटाना	

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

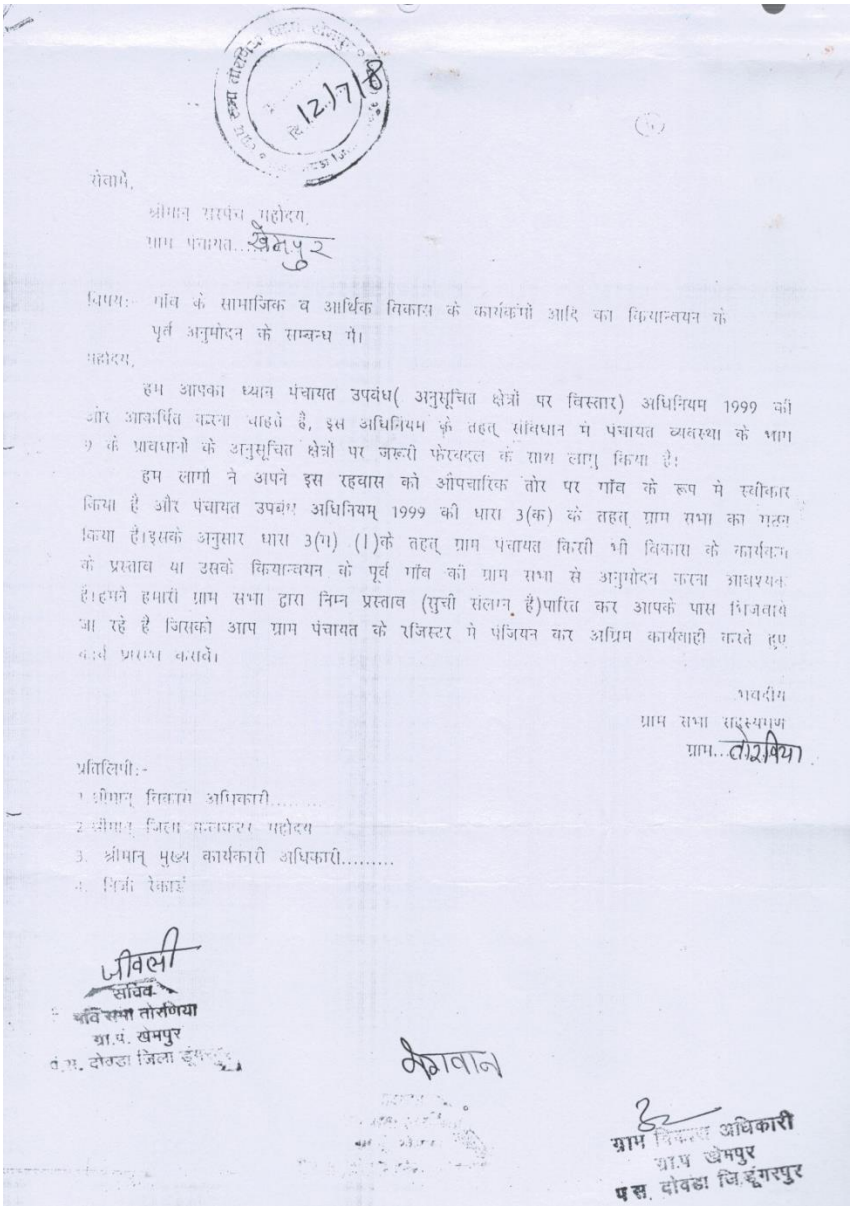

सेवामे,

श्रीमान् सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत...खेमपुर

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागू किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न् है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम...तोरणिया

प्रतिलिपी:-
1. श्रीमान् विकास अधिकारी.....
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.....
4. निजी रेकार्ड

सचिव
ग्राम सभा तोरणिया
ग्रा.पं. खेमपुर
प.स. दोवडा जिला डूंगरपुर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्रा.प खेमपुर
प.स. दोवडा जि.डूंगरपुर

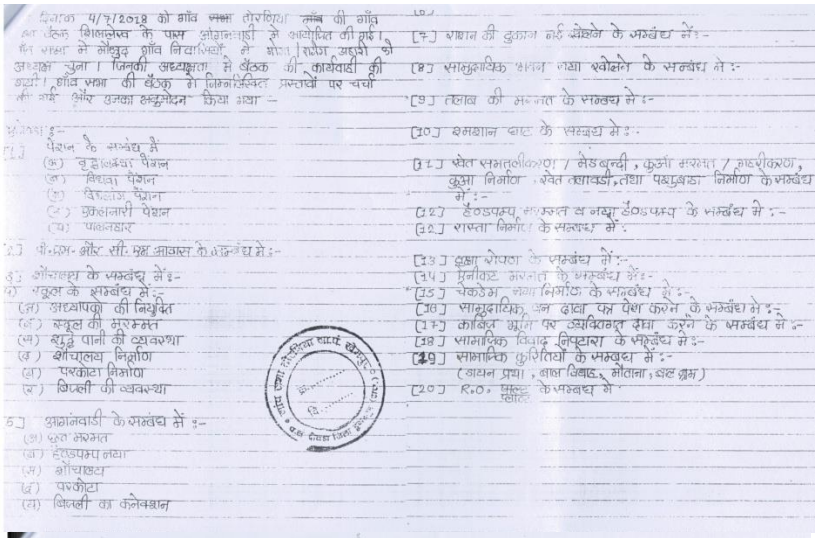

दिनांक 4/7/2018 को गाँव ~~सभा~~ तोरणिया ~~गाँव~~ की गाँव सभा बैठक शिलालेख के पास आंगनवाड़ी मे आयोजित की गई। गाँव सभा मे मौजुद गाँव निवासियों ने भोगा/रमेश अहारी को अध्यक्ष चुना। जिनकी अध्यक्षता मे बैठक की कार्यवाही की गयी। गाँव सभा की बैठक मे निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उनका अनुमोदन किया गया –

प्रस्ताव :-

[1] पेंशन के सम्बंध मैं
(अ) वृद्धावस्था पेंशन
(ब) विधवा पेंशन
(स) विकलांग पेंशन
(द) एकलनारी पेंशन
(य) पालनहार

[2] पी.एम. और सी.एम. आवास के सम्बंध मे :-

[3] शौचालय के सम्बंध में :-

[4] स्कूल के सम्बंध में :-
(अ) अध्यापको की नियुक्ति
(ब) स्कूल की मरम्मत
(स) शुद्ध पानी की व्यवस्था
(द) शौचालय निर्माण
(य) परकोटा निर्माण
(र) बिजली की व्यवस्था

[5] आगंनवाडी के सम्बंध में :-
(अ) छत मरमत
(ब) हेंडपम्प नया
(स) शौचालय
(द) परकोटा
(य) बिजली का कनेक्शन

[6] ...

[7] राशन की दुकान नई खोलने के सम्बंध में :-

[8] सामुदायिक भवन नया खोलने के सम्बंध मे :-

[9] तलाब की मरम्मत के सम्बंध मे :-

[10] श्मशान घाट के सम्बंध मे :-

[11] खेत समतलीकरण / मेडबन्दी, कुआँ मरम्मत / गहरीकरण, कुआ निर्माण, खेत तलावडी, तथा पशुबाडा निर्माण के सम्बंध मे :-

[12] हेंडपम्प मरम्मत व नया हेंडपम्प के सम्बंध मे :-

[12] रास्ता निर्माण के सम्बंध में :

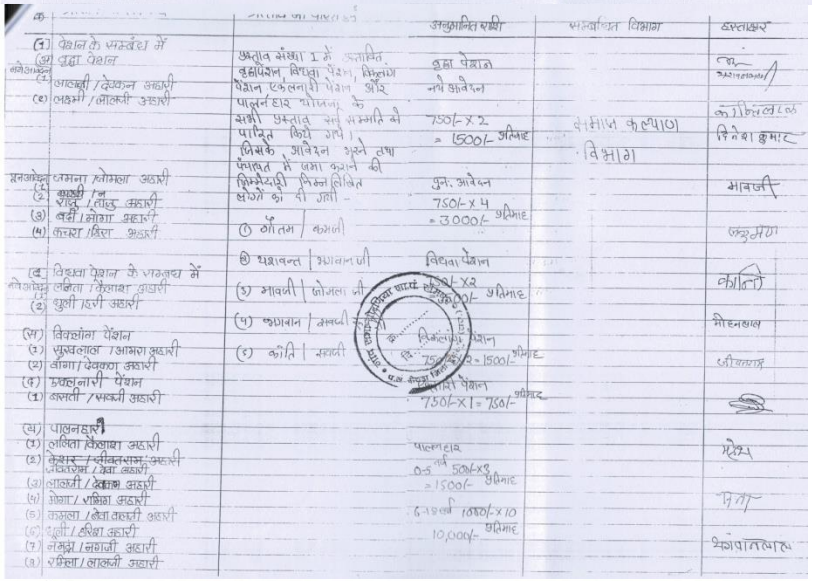

[13] वृक्षा रोपण के सम्बंध में :-
[14] एनीकट मरम्मत के सम्बंध में :-
[15] चेकडेम नया निर्माण के सम्बंध में :-
[16] सामुदायिक वन दावा पत्र पेश करने के सम्बंध मे :-
[17] काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करने के सम्बंध मे :-
[18] सामाजिक विवाद निपटारा के सम्बंध मे :-
[19] सामाजिक कुरितियों के सम्बंध में :-
(डायन प्रथा, बाल विवाह, मौताना, बाल श्रम)
[20] R.O. प्लांट के सम्बंध मे

क्र.	[illegible]	प्रस्ताव जो पारित [illegible]	अनुमानित राशि	सम्बंधित विभाग	हस्ताक्षर
(1)	पेंशन के सम्बंध में (अ) वृद्धा पेंशन नये आवेदन (1) लालजी / देवकन अहारी (2) लक्ष्मी / लालजी अहारी	प्रस्ताव संख्या 1 में प्रस्तावित वृद्धपेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एकलनारी पेंशन और पालनहार योजना के सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गये। जिसके आवेदन भरने तथा पंचायत में जमा कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित लोगों को दी गयी – ① गौतम / कमजी ② यशवन्त / भगवानजी (3) भावजी / जोमला जी (4) भगवान / सवजी (5) कांति / सवजी	वृद्धा पेंशन नये आवेदन 750/- x 2 = 1500/- प्रतिमाह	समाज कल्याण विभाग	[signature] कांतिलाल दिनेश कुमार
	पुनःआवेदन (1) जमना / जोमला अहारी (2) काली / न राजु / लालु अहारी (3) बदी / भोगा अहारी (4) कचरा / हिरा अहारी		पुनः आवेदन 750/- x 4 = 3000/- प्रतिमाह		भावजी लक्ष्मण
	(ब) विधवा पेंशन के सम्बंध में नये आवेदन (1) ललिता / कैलाश अहारी (2) धुली / हरी अहारी		विधवा पेंशन 750/- x 2 = 1500/- प्रतिमाह		कांति मोहनलाल
	(स) विकलांग पेंशन (1) सुखलाल / आमरा अहारी (2) वागा / देवका अहारी		विकलांग पेंशन 750/- x 2 = 1500/- प्रतिमाह		जीवतराम
	(द) एकलनारी पेंशन (1) बसती / सवजी अहारी		एकलनारी पेंशन 750/- x 1 = 750/- प्रतिमाह		[signature]
	(य) पालनहार (1) ललिता / कैलाश अहारी (2) ~~केशर / जीवतराम अहारी~~ जीवतराम / देवा अहारी (3) लालजी / देवकन अहारी (4) भोगा / रमेश अहारी (5) कमला / देवा वलजी अहारी (6) धूली / हरिश अहारी (7) नमद्रा / नगजी अहारी (8) रमिला / लालजी अहारी		पालनहार 0-5 वर्ष 500/- x 3 = 1500/- प्रतिमाह 6-18 वर्ष 1000/- x 10 10,000/- प्रतिमाह		महेश नीता भगवानलाल

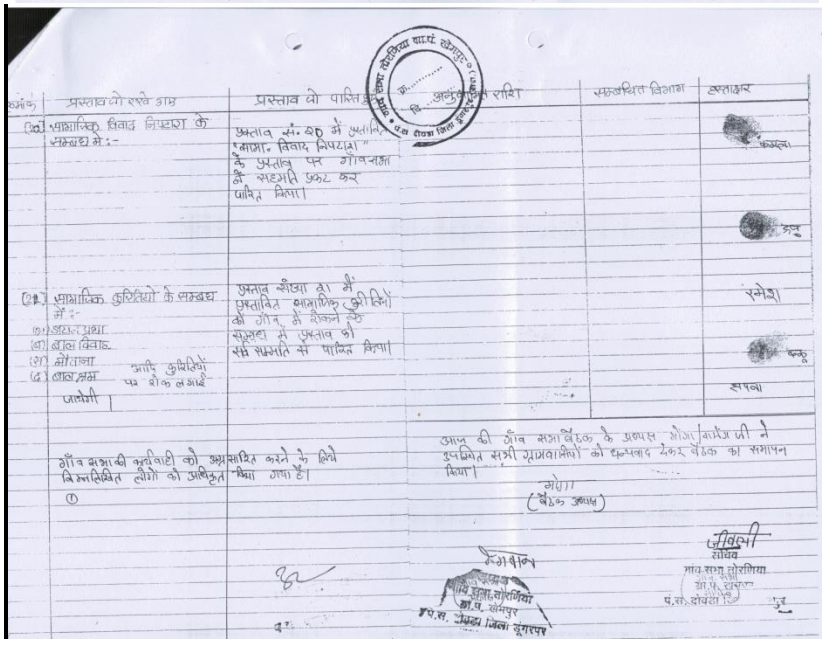

क्रमांक	प्रस्ताव जो रखे गए	प्रस्ताव जो पारित [illegible]	अनुमानित राशि	सम्बंधित विभाग	हस्ताक्षर
(20)	सामाजिक विवाद निपटारा के सम्बंध मे :-	प्रस्ताव सं. 20 में प्रस्तावित "सामा. विवाद निपटारा" के प्रस्ताव पर गाँवसभा ने सहमति प्रकट कर पारित किया।			कमला इन्दु
(21)	सामाजिक कुरितियो के सम्बंध में :- (अ) डायन प्रथा (ब) बाल विवाह (स) मौताना (द) बाल श्रम आदि कुरितियों पर रोक लगाई जायेगी।	प्रस्ताव संख्या 21 में प्रस्तावित सामाजिक कुरीतियों को गाँव में रोकने के सम्बंध में प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित किया।			रमेश कन्नू सपना

गाँव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिये निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया गया है।
①

आज की गाँव सभा बैठक के अध्यक्ष भोगा / रमेश जी ने उपस्थित सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देकर बैठक का समापन किया।

भोगा
(बैठक अध्यक्ष)

जीवली
सचिव
गांव सभा तोरणिया
ग्रा.प. खेमपुर
पं.स. दोवडा

सरपंच
गांव सभा तोरणिया
ग्रा.प. खेमपुर
पं.स. दोवडा जिला डूंगरपुर

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)-

1. दिनेश अहारी 07231901147
2. जीवली अहारी 07231901147
3. भगवान जी